अवसर

एकेटीयू आठ को लॉन्च करेगी नई एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी

बिना कंपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप को मिलेंगे एक लाख

अक्षय कुमार

लखनऊ। प्रदेश में युवाओं को स्टार्टअप के प्रति प्रेरित करने के लिए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) नई स्टूडेंट, फैकल्टी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी लॉन्च करने जा रहा है। इसकी विधिवत शुरुआत आठ सितंबर को होगी। नई नीति के तहत युवा बिना कंपनी रजिस्ट्रेशन के भी अपने स्टार्टअप का प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय से एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

प्रदेश सरकार की ओर से युवाओं को स्टार्टअप के लिए विभिन्न सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। हाल ही में स्टार्टअप नीति में संशोधन कर प्रक्रियाओं को और सरल किया गया है। इसी क्रम में एकेटीयू ने भी विद्यार्थियों और फैकल्टी को नवाचार व उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए नई नीति तैयार की है।

युवा प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए ले सकेंगे आर्थिक सहयोग

अब कंपनी पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं

अभी तक स्टार्टअप का प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता लेने के लिए कंपनी का पंजीकरण अनिवार्य था। नई व्यवस्था में यह शर्त समाप्त कर दी गई है। इनोवेशन हब यूपी फाउंडेशन के सीईओ डॉ. महीप सिंह ने बताया कि युवा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों का परीक्षण करने के बाद पात्र स्टार्टअप का प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए एक लाख रुपये तक का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।

- **25-30 स्टार्टअप को मिलेगी 1.50 करोड़ रुपये की फंडिंग :** एकेटीयू इनोवेशन हब के तहत इनक्यूबेट हो रहे 25-30 स्टार्टअप को करीब 1.50 करोड़ रुपये की फंडिंग दिलाने की पहल भी कर रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने उद्योगों और कंपनियों से संपर्क किया है। आठ सितंबर को आयोजित होने वाले यूपी स्टार्टअप संवाद 3.0 में इन स्टार्टअप का प्रदर्शन होगा। निवेशकों के समक्ष प्रस्तुति के लिए पिचिंग सत्र भी आयोजित किया जाएगा।